सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर

पत्रांक 355 / सि0वि0वि0 / सम्बद्धता / 2020 दिनांक 05/10/2020

सूचना

एतद्द्वारा सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर से सम्बद्ध समस्त अशासकीय स्ववित्तपोषित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के प्राचार्यो/प्रबन्धकों को सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ के पत्रांक–Memo / क्षे0का0ल0 / 2020–21 दिनॉक–04.10.2020, कार्यालय अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्रांक–452 / ए0सी0 / 2020 दिनॉक– 03 अक्टूबर, 2020, शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) के निर्देश के क्रम में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त अशासकीय स्ववित्तपोषित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों दिनॉक–05 अक्टूबर, 2020 को अपरान्ह् 02:00 बजें तक अधोहस्ताक्षरी की ई–मेल registrarusidduniv@gmail.com पर निर्धारित प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

क्रमांक	विश्वविद्यालय, जिससे महाविद्यालय सम्बद्ध है	महाविद्यालय का नाम	रू0–15000/– से कम मानदेय पाने वाले शिक्षकें की संख्या	रू0–15000/– से अधिक मानदेय पाने वाले शिक्षकें की संख्या	कुल योग	अभ्युक्ति

भवदीय

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सम्बद्ध समस्त प्रबन्धक / प्राचार्य।
2. प्रभारी कोडिंग सेल को इस निर्देश के साथ कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों के लागिन आईडी एवं वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
3. निजी सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
4. गार्ड फाइल में संरक्षित हेतु।

कुलसचिव,
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

<u>**कार्यालय क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ**</u>

पत्रांक-Mem /क्षे0का0ल0/2020-21 दिनांक 4|10|2020

सेवा में,

प्रबन्धक/प्राचार्य,

समस्त स्ववित्तपोषित महाविद्यालय

लखनऊ, अयोध्या एवं देवीपाटन मण्डल ।

विषय: अशासकीय स्ववित्तपोषित शैक्षणिक संस्थानों में रु0- 15000/- से कम एवं 15000/- से अधिक मानदेय पाने वाले शिक्षकों की संख्या निर्धारित प्रारूप पर प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्रांक- **452/ए0सी0एस0/ / ए0सी0/2020** दिनांक- **03 अक्टूबर,2020** एवं शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) के द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में आपको अवगत कराना है कि मा0 मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक- **06 अक्टूबर,2020** को बैठक किया जाना प्रस्तावित है, जिसमे प्रदेश के अशासकीय स्ववित्तपोषित शैक्षणिक संस्थानों के सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप पर सूचनाओं की आवश्यकता है ।

निर्धारित प्रारूप पर सूचना दिनांक- **05अक्टूबर,2020** को अपराह्न **02:00** बजे तक अधोहस्ताक्षरी की ई-मेल rheolko@gmail.com अथवा गूगल लिंक https://forms.gle/F2B2MwCLqgnTbTF37 पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि सूचना संकलित कर शासन को प्रेषित की जा सकें । सूचना अत्यंत महत्वपूर्ण एवं समयबद्ध है, अतः आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा ।

निर्धारित प्रारूप

क्रमांक	**विश्वविद्यालय, जिससे महाविद्यालय सम्बद्ध है**	**महाविद्यालय का नाम**	**रु0- 15000/- से कम मानदेय पाने वाले शिक्षकों की संख्या**	**रु0- 15000/- से अधिक मानदेय पाने वाले शिक्षकों की संख्या**	**कुल योग**	**अभ्युक्ति**

(हस्ताक्षर) 4/10/2020

(डॉ0 आलोक कुमार श्रीवास्तव)

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ

पृ0 सं0 तददिनांक ।

प्रतिलिपि: 1- कार्यालय अपर मुख्य सचिव- माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

2- शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।

3- कुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या, छ0 शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर तथा सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित जनपदों के स्ववित्तपोषित महाविद्यालयो के लॉगिन आईडी पर पत्र को प्रेषित करते हुए समयान्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें ।

(हस्ताक्षर) 4/10/2020

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ

Scanned with CamScanner